



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE: SEPTEMBER 12, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. आरबीआई (RBI) तरलता बढ़ने पर ₹1-ट्रिलियन बांड बिक्री की तैयारी में.....	2
2. व्यापार बाधाओं को कम करें, नाविकों की रक्षा करें: मोदी ने ब्रिक्स से कहा	4
3. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सप्ताह-दर-सप्ताह \$45 बिलियन बढ़कर रिकॉर्ड उंचाई पर पहुंचा.....	6
4. ब्रिक्स में भारत ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की वकालत की	7
5. भारत और ईयू व्यापार सौदे को अंतिम रूप देने के करीब, ब्रुसेल्स में शीर्ष परिषद से मंजूरी का इंतजार	9
6. जैसे ही भारत 5 शिशु ओरंगुटानों की उत्पत्ति की जांच कर रहा है, इंडोनेशिया स्वदेश वापसी की नींव तैयार कर रहा है	11
7. पीएम मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन को तिरुक्कुरल का रूसी अनुवाद उपहार में दिया	12
8. आतंकवाद से लेकर संस्थागत सुधारों तक: ब्रिक्स घोषणापत्र में साझी जमीन स्पष्ट करेगा.....	14
9. जीवंत कार्यक्रम और बुनियादी ढांचे का विकास: अधिक पर्यटक अब लद्दाख को क्यों चुन रहे हैं.....	16
10. एआई (AI) गवर्नेंस आर्किटेक्चर में इसके सबसे बड़े हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए.....	18
11. ब्रिक्स वित्तीय संरचना: वैश्विक शासन सुधार के वादे बनाम वास्तविकताएं.....	19
12. एमपीसी अगली बैठक में विकास और मुद्रास्फीति की गतिशीलता में संशोधन करेगी.....	21



1. आरबीआई (RBI) तरलता बढ़ने पर ₹1-ट्रिलियन बांड बिक्री की तैयारी में

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) की योजना:** भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग प्रणाली से स्थायी अधिशेष (surplus) तरलता को अवशोषित करने के लिए तीन किशतों में ₹1 ट्रिलियन मूल्य के ओपन मार्केट ऑपरेशन बॉन्ड बिक्री को निष्पादित करने की योजना की घोषणा की।
- **नीलामी कार्यक्रम और किशतें:** केंद्रीय बैंक तीन किशतों में संप्रभु प्रतिभूतियों (sovereign securities) की बिक्री करेगा: 17 सितंबर को ₹50,000 करोड़, इसके बाद 21 सितंबर और 28 सितंबर को ₹25,000-₹25,000 करोड़ की दो पेशकशें।

- **विदेशी मुद्रा अंतर्वाह में उछाल:** एक विशेष विदेशी मुद्रा अनिवासी [FCNR(B)] जमा योजना की सफलता के बाद बैंकिंग प्रणाली में तरलता का सैलाब आया, जिसने केवल दो महीनों में \$127.2 बिलियन आकर्षित किए।
- **सिस्टम तरलता अधिशेष:** शुद्ध सिस्टम तरलता ₹11 ट्रिलियन को पार कर गई, जिसमें शुद्ध अधिशेष ₹10.4 ट्रिलियन होने का अनुमान है, जिसके कारण RBI को परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR) नीलामी के माध्यम से ₹8 ट्रिलियन से अधिक वापस लेने पड़े।
- **कॉल मनी दरों का प्रबंधन:** आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस बात पर जोर दिया कि तरलता अवशोषण का उद्देश्य भारित औसत कॉल दर (WACR) को 5.25% की प्रमुख रेपो दर के साथ संरेखित करना है, जिससे वर्तमान में चल रही नरम ओवरनाइट दरों को सुधारा जा सके।
- **व्यापक मौद्रिक टूलकिट:** आरबीआई ने पुष्टि की कि FCNR-B जमा पर उच्च CRR लगाए बिना वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए OMO बिक्री, विदेशी मुद्रा स्वेप और नकद आरक्षित अनुपात (CRR) समायोजन जैसे उपकरण उपलब्ध रहेंगे।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMOs):** बैंकिंग प्रणाली में स्थायी धन की आपूर्ति और तरलता को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना।
- **विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा [FCNR(B)]:** भारत में अधिकृत बैंकों के साथ गैर-निवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा बनाए रखी जाने वाली विदेशी मुद्रा-मूल्यवर्ग वाली मियादी जमाएं, जहां विनिमय दर जोखिम बैंकों या केंद्रीय बैंक द्वारा वहन किया जाता है।
- **भारित औसत कॉल दर (WACR):** आरबीआई की मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य, उस औसत ब्याज दर का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर बैंक ओवरनाइट आधार पर एक दूसरे को बिना किसी गारंटी (uncollateralized) के धन उधार देते हैं।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (धारा 45ZA):** वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के मौद्रिक नीति के प्राथमिक उद्देश्य को अनिवार्य करता है।
- **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (धारा 17 और धारा 42):** धारा 17 आरबीआई को OMOs के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए अधिकृत करती है, जबकि धारा 42 आरबीआई को वाणिज्यिक बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात (CRR) आवश्यकताओं को निर्धारित करने का अधिकार देती है।
- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949:** भारत में वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के रखरखाव और बैंकिंग परिचालन तथा जमा खातों पर परिचालन नियंत्रण को नियंत्रित करता है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** बाहरी व्यापार, सीमा पार पूंजी लेनदेन और FCNR(B) जैसे विदेशी मुद्रा जमा ढांचे को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष

₹1 ट्रिलियन बांड बिक्री निष्पादित करने का आरबीआई का निर्णय विदेशी पूंजी अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त धन को अवशोषित करने के लिए इसकी सक्रिय तरलता प्रबंधन रणनीति को रेखांकित करता है। नीतिगत रेपो दर के साथ भारित औसत कॉल दर को संरेखित करना प्रभावी मौद्रिक नीति संचरण और समष्टि आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) सुनिश्चित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे (मौद्रिक नीति उपकरण, आरबीआई तरलता प्रबंधन, OMOs, FCNR-B अंतर्वाह)।
- **GS पेपर III:** वित्तीय क्षेत्र प्रशासन (मुद्रा बाजार संरचना, WACR परिचालन लक्ष्य, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन)।
- **मुख्य फोकस:** ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO), परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR), मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य (WACR बनाम रेपो दर), FCNR(B) जमा तंत्र।

2. व्यापार बाधाओं को कम करें, नाविकों की रक्षा करें: मोदी ने ब्रिक्स से कहा

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **ब्रिक्स के भीतर बाधा-मुक्त व्यापार का आह्वान:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के भीतर व्यापारिक बाधाओं को दूर करने की वकालत की, और सदस्य देशों से खुले आर्थिक पुलों का निर्माण करके बढ़ते वैश्विक संरक्षणवाद (protectionism) का मुकाबला करने का आग्रह किया।
- **समुद्री सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा:** इस बात पर जोर देते हुए कि वैश्विक व्यापार वृद्धि सुरक्षित समुद्री मार्गों पर निर्भर करती है, प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण पारगमन क्षेत्रों में जारी संघर्षों के बीच समुद्री आपूर्ति मार्गों को सुरक्षित करने और नाविकों की रक्षा करने पर बल दिया।
- **ब्रिक्स के तीसरे दशक के लिए तीन मानक:** समूह की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए तीन-बिंदु कार्य योजना प्रस्तावित की गई थी: शीर्ष वाणिज्य बाधाओं को हटाना, कम से कम 100 स्टार्ट-अप को सदस्य बाजारों में विस्तार करने में सक्षम बनाना, और हजारों अंतर-समूह व्यापार साझेदारियों को बढ़ावा देना।
- **भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में पेश करना:** 2,00,000 से अधिक स्टार्ट-अप और लगभग 120 यूनिर्कों के भारत के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रस्तुत करते हुए, विदेशी निवेशकों को वैश्विक स्तर के लिए "मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया" के लिए आमंत्रित किया गया।
- **बुनियादी ढांचे के लिए निजी पूंजी जुटाना:** ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचा वित्तपोषण को बढ़ाने के लिए डी-रिस्कিং फ्रेमवर्क, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की बहुपक्षीय गारंटी पहल (Multilateral Guarantees initiative) का समर्थन किया।

HT

“

Global trade can move forward only when sea lanes are secure, supply routes are open, and seafarers are safe. Therefore, India is a strong supporter of freedom of navigation and the safety of seafarers.

PM Narendra Modi



- **स्थानीय मुद्राओं में अंतर-समूह व्यापार निपटान:** सदस्य नेताओं ने वित्तीय लचीलापन बनाने और विदेशी मुद्रा जोखिमों को कम करने के लिए सीमा पार व्यापार में स्थानीय मुद्रा लेनदेन का विस्तार करने की आवश्यकता को दोहराया।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **नेविगेशन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation):** अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत कानून का एक सिद्धांत जो यह गारंटी देता है कि किसी भी संप्रभु ध्वज को फहराने वाले जहाजों को बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के खुले समुद्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से नेविगेट करने का अधिकार है।
- **बहुपक्षीय गारंटी पहल (Multilateral Guarantees Initiative):** उभरते बाजारों में बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के निवेश को जोखिम मुक्त (de-risk) करने के लिए बहुपक्षीय बैंकों (जैसे NDB) द्वारा विकसित एक क्रेडिट-संवर्धन तंत्र।
- **संरक्षणवाद (Protectionism):** घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ, आयात कोटा, गैर-टैरिफ बाधाओं या राज्य सब्सिडी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करने वाली आर्थिक नीतियां।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **UNCLOS (समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1982):** समुद्री संप्रभुता, क्षेत्रीय जल के माध्यम से निर्दोष मार्ग (innocent passage), और रणनीतिक जलडमरूमध्य के माध्यम से पारगमन अधिकारों के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करने वाली प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय संधि।
- **मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958:** भारतीय ध्वज वाले जहाजों, सुरक्षा प्रोटोकॉल, कार्य स्थितियों और व्यापारी जहाजों पर नाविकों के अधिकारों को विनियमित करने वाला प्राथमिक भारतीय वैधानिक ढांचा।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(c):** संगठित लोगों के एक-दूसरे के साथ व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देशित करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301:** भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो घरेलू बाधा-मुक्त व्यापार के मूल सिद्धांत को दर्शाता है।

निष्कर्ष

ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन समुद्री सुरक्षा और संरचनात्मक नवाचार के साथ वैश्विक व्यापार विस्तार को संरेखित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। स्थानीय मुद्रा व्यापार को सुगम बनाना और आपूर्ति मार्गों की रक्षा करना वैश्विक आर्थिक विकास के एक लचीले इंजन के रूप में ब्रिक्स को मजबूत करेगा।

UPSC प्रासंगिकता

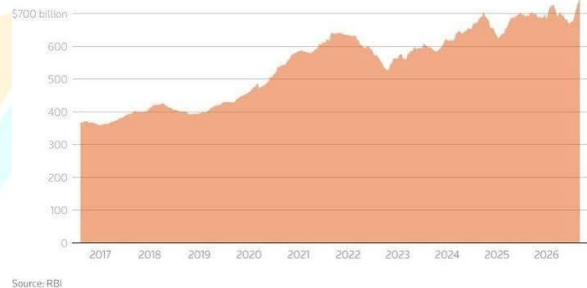
- **GS पेपर II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह (ब्रिक्स कूटनीति, नेविगेशन की स्वतंत्रता, समुद्री व्यापार सुरक्षा, NDB वित्तीय पहल)।
- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (व्यापार करने में आसानी/Ease of Doing Business, स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र, बुनियादी ढांचा वित्तपोषण, डी-रिस्कিং तंत्र)।
- **मुख्य फोकस:** ब्रिक्स अंतर-व्यापार मानक, UNCLOS ढांचा, समुद्री सुरक्षा, नाविकों की सुरक्षा, स्थानीय मुद्रा व्यापार निपटान।

3. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सप्ताह-दर-सप्ताह \$45 बिलियन बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- विदेशी मुद्रा भंडार में ऐतिहासिक उछाल:** 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह के लिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एकल सात दिवसीय अवधि के भीतर लगभग \$45 बिलियन बढ़कर \$785.7 बिलियन के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
- नीतिगत उपायों से प्रेरित:** यह विशाल साप्ताहिक विस्तार मुख्य रूप से देश के भुगतान संतुलन (balance of payments) को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में किए गए नीतिगत उपायों के माध्यम से उत्पन्न विदेशी पूंजी अंतर्वाह के उछाल से संचालित हुआ था।
- बाहरी स्थिरता को मजबूत करना:** यह मील का पत्थर उछाल भारत के आयात कवर (import cover) को बढ़ाता है और वैश्विक समष्टि आर्थिक अस्थिरता, पूंजी बहिर्वाह (capital outflows) और मुद्रा मूल्यहास के दबावों के खिलाफ एक मजबूत वित्तीय बफर प्रदान करता है।
- घटक-वार संपत्ति संचय:** यह वृद्धि केंद्रीय बैंक द्वारा धारित आरक्षित परिसंपत्तियों में मूल्यांकन समायोजन के साथ-साथ महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा संपत्ति (FCA) संचय को दर्शाती है।
- मौद्रिक प्रबंधन एकीकरण:** आरक्षित परिसंपत्तियों का यह संचय घरेलू विनिमय स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा के उछाल को अवशोषित करने के लिए केंद्रीय बैंक के खुले बाजार के हस्तक्षेप और तरलता प्रबंधन रणनीतियों के साथ मेल खाता है।
- भुगतान संतुलन (BoP) स्थिति का सुदृढ़ीकरण:** मजबूत विदेशी पूंजी अंतर्वाह भारत के चालू खाता प्रबंधन, चालू खाता घाटा (CAD) अवशोषण क्षमता और समग्र बाहरी क्षेत्र के लचीलेपन को मजबूत करना जारी रखता है।

India's FX reserves at record high after RBI's special dollar deposit window
Foreign exchange reserves rose to \$785.7 billion as on Sept. 4, 2026



आवश्यक परिभाषाएँ

- विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves):** भुगतान संतुलन के दायित्वों को पूरा करने, विनिमय दरों को स्थिर करने और वित्तीय विश्वास बनाए रखने के लिए देश के केंद्रीय बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित परिसंपत्तियों का कुल स्टॉक।
- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA):** भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक, जिसमें बहु-मुद्रा जमा, विदेशी ट्रेजरी बिल और विदेशों में धारित संप्रभु प्रतिभूतियां शामिल हैं।
- भुगतान संतुलन (BoP):** एक निर्दिष्ट अवधि में देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच किए गए सभी आर्थिक लेनदेन का एक व्यवस्थित लेखा रिकॉर्ड।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (धारा 17 और 33):** आरबीआई को विदेशी मुद्रा भंडार के एकमात्र संरक्षक के रूप में कार्य करने और विदेशी संप्रभु ऋण, जमा और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय साधनों में निवेश करने के लिए सक्षम वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** भारत में विदेशी मुद्रा लेनदेन, सीमा पार पूंजी प्रवाह और बाहरी खाता संचालन को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 292:** संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर ऋण लेने के लिए संघ की कार्यपालिका शक्ति को अधिकृत करता है, जो बाहरी ऋण जोखिम को आकार देता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293:** राज्य सरकार के उधारों को नियंत्रित करता है, राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा जोखिमों और बाहरी ऋण देनदारियों पर केंद्रीय निरीक्षण सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का रिकॉर्ड \$785.7 बिलियन तक विस्तार मजबूत बाहरी क्षेत्र के लचीलेपन और प्रभावी भुगतान-संतुलन प्रबंधन को उजागर करता है। एक महत्वपूर्ण आरक्षित बफर बनाए रखना समष्टि-वित्तीय स्थिरता को मजबूत करता है, रुपये को स्थिर करता है, और अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन, आरबीआई नीति ढांचा, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां)।
- **GS पेपर III:** विदेशी व्यापार और वित्तीय स्थिरता (बाहरी क्षेत्र लचीलापन, FEMA ढांचा, पर्याप्त आयात कवर)।
- **मुख्य फोकस:** विदेशी मुद्रा भंडार के घटक (FCA, सोना, SDRs, RTP), आरबीआई अधिनियम 1934 सक्षमताएँ, FEMA 1999, बाहरी क्षेत्र प्रबंधन।

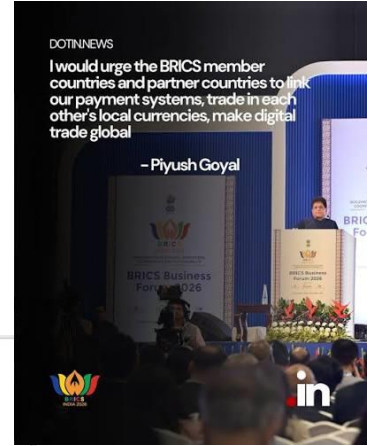
4. ब्रिक्स में भारत ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की वकालत की

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **स्थानीय मुद्रा विस्तार का प्रस्ताव:** भारत ने ब्रिक्स सदस्यों और भागीदार देशों से राष्ट्रीय मुद्राओं में सीमा पार व्यापार निपटान का विस्तार करने और घरेलू भुगतान संरचनाओं को एकीकृत करने का आह्वान किया।
- **एकल मुद्रा को दृढ़ता से खारिज करना:** नई दिल्ली ने आधिकारिक तौर पर एक एकीकृत मौद्रिक प्रणाली के ऊपर राष्ट्रीय मुद्रा तंत्र को प्राथमिकता देते हुए, एक सामान्य ब्रिक्स मौद्रिक इकाई या वैकल्पिक आरक्षित मुद्रा बनाने के विरोध को बरकरार रखा।
- **डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) का वैश्वीकरण:** केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स भागीदारों से भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का लाभ उठाने का आग्रह किया, और इस

बात पर प्रकाश डाला कि UPI सालाना 250 बिलियन से अधिक लेनदेन संभालता है, जो वैश्विक त्वरित भुगतानों के आधे से अधिक है।

- **यूपीआई के पदचिह्न का विस्तार:** मंत्री ने रेखांकित किया कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने 11 देशों में सीमा पार स्वीकृति स्थापित की है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पारस्परिकता (interoperability) के लिए इसके पैमाने को प्रदर्शित करता है।
- **सीमा पार भुगतानों पर संयुक्त घोषणा:** ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने ब्रिक्स क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव पर प्रगति को मान्यता दी, भुगतान संदेश चैनल पारस्परिकता का समर्थन किया, जबकि यह स्वीकार किया कि कोई भी एकल दृष्टिकोण सभी सदस्यों के लिए उपयुक्त नहीं है।
- **ब्रिक्स बिजनेस फोरम की मेजबानी:** यह पहल नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स बिजनेस फोरम और लीडर्स समिट के दौरान प्रदर्शित की गई थी, जो रियो डी जनेरियो में 2025 शिखर सम्मेलन में स्थापित ढांचे पर निर्मित है।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI):** साझा डिजिटल नेटवर्क नींव—जिसमें डिजिटल पहचान, भुगतान प्रणाली और डेटा विनिमय परतें शामिल हैं—जो सार्वजनिक और निजी संस्थाओं को बड़े पैमाने पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाती है।
- **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI):** भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित एक त्वरित वास्तविक समय भुगतान प्रणाली जो अंतर-बैंक सहकर्मी से सहकर्मी (P2P) और व्यक्ति से व्यापारी (P2M) लेनदेन की सुविधा प्रदान करती है।
- **स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS):** एक द्विपक्षीय वित्तीय तंत्र जो दो व्यापारिक देशों को अमेरिकी डॉलर जैसी तीसरी मुद्रा पर निर्भरता को समाप्त करते हुए सीधे अपनी संबंधित राष्ट्रीय मुद्राओं में वाणिज्यिक लेनदेन को निपटाने में सक्षम बनाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934:** विनिमय दर संचालन, आरक्षित प्रबंधन और मुद्रा जारी करने को नियंत्रित करता है, जो आरबीआई को मुद्रा स्वैप समझौतों में प्रवेश करने और सीमा पार लेनदेन प्रोटोकॉल तैयार करने का अधिकार देता है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** सीमा पार पूंजी और चालू खाता लेनदेन को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा, जो स्थानीय मुद्रा व्यापार निपटान के लिए विशेष वोस्ट्रो खाता (Vostro account) तंत्र को अधिकृत करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(c):** संप्रभु राष्ट्रों के बीच संगठित व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देशित करता है।
- **सातवीं अनुसूची की सूची I (संघ सूची) के साथ पठित अनुच्छेद 246:** संघ संसद को विदेश मामले (प्रविष्टि 10), विदेशी मुद्रा (प्रविष्टि 36), और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (प्रविष्टि 41) पर अनन्य विधायी शक्ति प्रदान करता है।

निष्कर्ष

ब्रिक्स के भीतर स्थानीय मुद्रा व्यापार निपटान और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के एकीकरण के लिए भारत का प्रयास मौद्रिक स्वायत्तता के साथ आर्थिक लचीलेपन को संतुलित करता है। एक सामान्य ब्रिक्स मुद्रा का विरोध करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UPI को बढ़ाकर, भारत स्थापित वैश्विक मौद्रिक प्रणाली को बाधित किए बिना व्यावहारिक वित्तीय सहयोग को आगे बढ़ाता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह (ब्रिक्स विदेश नीति, वित्तीय कूटनीति, बहु-संरक्षण ढांचा)।
- **GS PAPER III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, UPI का अंतर्राष्ट्रीयकरण, स्थानीय मुद्रा निपटान, विदेशी मुद्रा प्रबंधन)।
- **मुख्य फोकस:** UPI का वैश्विक पदचिह्न, स्थानीय मुद्रा व्यापार निपटान बनाम डी-डॉलराइजेशन, FEMA वोस्ट्रो खाते, ब्रिक्स सीमा पार भुगतान पहल।

5. भारत और ईयू व्यापार सौदे को अंतिम रूप देने के करीब, ब्रुसेल्स में शीर्ष परिषद से मंजूरी का इंतजार

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **यूरोपीय परिषद को अग्रेषण:** यूरोपीय आयोग ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए अपने प्रस्ताव को यूरोपीय परिषद को भेज दिया है, जो यह संकेत देता है कि यह मेगा-व्यापार समझौता अपने अंतिम अनुमोदन चरणों में प्रवेश कर रहा है।
- **दोनों भागीदारों के लिए सबसे बड़ा व्यापार समझौता:** अपनाने और लागू होने पर, यह समझौता भारत और यूरोपीय संघ (EU) दोनों द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता बन जाएगा।
- **दायरा और बाजार पहुंच:** समझौते का उद्देश्य व्यापारिक वस्तुओं की 96% श्रेणियों पर शुल्क को समाप्त करना या कम करना, अनावश्यक गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं से निपटना और सालाना €180 बिलियन से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार में अनुमानित निवेश नियम स्थापित करना है।
- **पारस्परिक आर्थिक लाभ:** जहां यूरोपीय कंपनियां भारतीय घरेलू बाजार में बेहतर पहुंच सुरक्षित करती हैं, वहीं भारत को सेवाओं के व्यापार में उच्च-मूल्य की प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए आसान आवाजाही का लाभ मिलता है।
- **ईयू विधायी अनुसमर्थन कार्यप्रवाह:** यूरोपीय परिषद (27 ईयू सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलकर बनी) द्वारा अनुमोदन के बाद, अंतिम समापन और प्रवर्तन से पहले इस समझौते को यूरोपीय संसद से औपचारिक सहमति की आवश्यकता होगी।
- **समानांतर घरेलू अनुसमर्थन:** दोनों संप्रभु पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भारत में अधिकारी एक साथ आंतरिक अनुमोदन प्रक्रियाओं को अंजाम दे रहे हैं।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** दो या दो से अधिक संप्रभु संस्थाओं के बीच एक तरजीही अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसे वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार पर शुल्क, आयात कोटा और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **यूरोपीय आयोग (European Commission):** यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा जो कानून का प्रस्ताव करने, निर्णयों को लागू करने, ईयू संधियों को बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए जिम्मेदार है।
- **यूरोपीय परिषद (European Council):** 27 सदस्य राज्यों के राज्य या सरकार के प्रमुखों से मिलकर बनी सर्वोच्च ईयू राजनीतिक संस्था, जो ब्लॉक की सामान्य राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को परिभाषित करती है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73:** संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन मामलों तक करता है जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिससे केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर बातचीत करने और उन्हें निष्पादित करने में सक्षम बनाया जा सके।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253:** विदेशी राष्ट्रों या अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ किए गए किसी भी समझौते, संधि या सम्मेलन को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है।
- **सातवीं अनुसूची की सूची I (संघ सूची) के साथ पठित अनुच्छेद 246:** संसद को विदेश मामले (प्रविष्टि 10), विदेशी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य (प्रविष्टि 41), और संधियों (प्रविष्टि 14) पर अनन्य विधायी अधिकार प्रदान करता है।
- **यूरोपीय संघ के कामकाज पर संधि (TFEU) का अनुच्छेद 218:** यूरोपीय संघ और तीसरे देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर बातचीत, हस्ताक्षर और समापन के लिए ईयू कानून के तहत कानूनी प्रक्रिया को परिभाषित करता है।

निष्कर्ष

आसन्न भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता दो प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक एकीकरण में एक मील का पत्थर है। सेवाओं की आवाजाही के साथ शुल्क युक्तिकरण को संतुलित करके, यह समझौता रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत करता है, द्विपक्षीय व्यापार को गहरा करता है, और नियम-आधारित वैश्विक व्यापार के तहत आर्थिक प्रशासन को बढ़ाता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह (भारत-ईयू रणनीतिक साझेदारी, अनुच्छेद 253 के तहत संधि-निर्माण शक्ति, अति-राष्ट्रीय संस्थान)।
- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास और विदेशी व्यापार से संबंधित मुद्दे (FTAs, टैरिफ बाधाएं, सेवाएं आवाजाही)।

- **मुख्य फोकस:** अनुच्छेद 253 संधि कार्यान्वयन, भारत-ईयू एफटीए वास्तुकला, अनुच्छेद 218 TFEU अनुमोदन तंत्र, सेवाएं व्यापार और श्रम गतिशीलता।

6. जैसे ही भारत 5 शिशु ओरंगुटानों की उत्पत्ति की जांच कर रहा है, इंडोनेशिया स्वदेश वापसी की नींव तैयार कर रहा है

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **अंतर-सरकारी स्वदेश वापसी का प्रयास:** इंडोनेशिया के वानिकी मंत्रालय ने भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया है ताकि बचाए गए पांच छोटे ओरंगुटानों को वापस भेजने के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को तैयार किया जा सके, यदि जेनेटिक परीक्षण उनके इंडोनेशियाई मूल की पुष्टि करता है।
- **ट्रांसनेशनल वन्यजीव तस्करी नेटवर्क:** दोनों देशों के अधिकारियों को संदेह है कि एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय तस्करी सिंडिकेट ने सुमात्रा या बोर्नियो में मूल आवासों से अति-संकटग्रस्त वानरों को समुद्री मार्गों से भारत पहुँचाया।
- **न्यायिक प्राधिकरण अनिवार्य:** जानवरों के हस्तांतरण, परिवहन, या स्वदेश वापसी के लिए आधिकारिक जांच, स्वास्थ्य प्रोटोकॉल, और भारत में सक्षम न्यायिक अदालतों द्वारा प्राधिकरण के औपचारिक समापन की आवश्यकता होती है।
- **कूटनीतिक और CITES समन्वय:** इंडोनेशिया के प्रजाति और आनुवंशिक संरक्षण निदेशालय ने डीएनए परीक्षा, प्रजाति सत्यापन, और कानून प्रवर्तन खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग करने के लिए भारत के CITES प्रबंधन प्राधिकरण के साथ संवाद किया।
- **परिवहन के लिए तकनीकी उपाय:** प्रारंभिक उपायों में आनुवंशिक पहचान, स्वास्थ्य जांच, पृथक्वास (quarantine) प्रोटोकॉल, पशु कल्याण सुरक्षा उपाय, और आगमन के बाद पुनर्वास ढांचा शामिल हैं।
- **वन्यजीव बचाव के लिए वैश्विक मिसाल:** विशेषज्ञों का कहना है कि औपचारिक प्रजातियों के सत्यापन को निष्पादित करना और तस्करी किए गए जानवरों को उनके मूल देश में वापस भेजना अवैध विदेशी वन्यजीव व्यापार से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **वन्यजीवों की स्वदेश वापसी (Repatriation of Wildlife):** कानूनी मंजूरी और कल्याण सत्यापन के बाद जब्त की गई या बचाई गई गैर-देशी संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक मूल देश में वापस लाने की कानूनी प्रक्रिया।
- **CITES प्रबंधन प्राधिकरण:** CITES परमिट जारी करने, सूचीबद्ध प्रजातियों में व्यापार को विनियमित करने और अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव अनुपालन का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार नामित राष्ट्रीय प्रशासनिक निकाय।

- **ट्रांसनेशनल वन्यजीव अपराध:** अंतर्राष्ट्रीय संधियों और राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए संरक्षित वनस्पतियों और जीवों का संगठित सीमा पार अवैध व्यापार, अवैध शिकार, तस्करी या परिवहन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अध्याय VB - 2022 संशोधन):** भारत में CITES के लिए राष्ट्रीय कानूनी प्रवर्तन तंत्र प्रदान करता है, जो परिशिष्ट I में सूचीबद्ध प्रजातियों के कब्जे, हस्तांतरण और व्यापार को विनियमित करता है।
- **CITES (संकटग्रस्त वन्यप्राणी एवं वनस्पति की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन):** अंतर्राष्ट्रीय संधि जो ओरंगुटान को परिशिष्ट I के तहत रखती है, वाणिज्यिक व्यापार को सख्ती से प्रतिबंधित करती है और जल्द किए गए नमूनों को वापस करने के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करती है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A:** संवैधानिक निर्देश जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने के लिए बाध्य करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(g):** मौलिक कर्तव्य जो प्रत्येक नागरिक को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने और जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखाने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष

प्रजातियों की उत्पत्ति की पुष्टि करने और तकनीकी स्वदेश वापसी ढांचे को तैयार करने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच सहयोगात्मक प्रयास अवैध वन्यजीव व्यापार से निपटने में वैश्विक सहयोग के महत्व को उजागर करता है। CITES प्रोटोकॉल और न्यायिक प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार पशु कल्याण और कानूनी जवाबदेही दोनों सुनिश्चित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III:** पर्यावरण और पारिस्थितिकी (संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण, अवैध वन्यजीव तस्करी, पूर्व-स्थाने/Ex-situ संरक्षण, CITES और WLPD प्रावधान)।
- **GS पेपर III:** सुरक्षा चुनौतियाँ और अंतर्राष्ट्रीय कानून (ट्रांसनेशनल संगठित अपराध, सीमा सुरक्षा और समुद्री तस्करी नियंत्रण)।
- **मुख्य फोकस:** CITES परिशिष्ट I प्रवर्तन, वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2022, ट्रांसनेशनल वन्यजीव अपराध रोकथाम, प्रजाति स्वदेश वापसी प्रोटोकॉल।

7. पीएम मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन को तिरुक्कुरल का रूसी अनुवाद उपहार में दिया

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सांस्कृतिक कूटनीति:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तमिल साहित्यिक उत्कृष्ट कृति तिरुक्कुरल का रूसी अनुवाद भेंट किया।
- **CICT द्वारा प्रकाशित:** यह संस्करण केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (CICT) द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त संस्थान है।
- **बहुभाषी प्रकाशन को बढ़ावा:** CICT ने तमिल विरासत को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं और आधा दर्जन से अधिक विदेशी भाषाओं में तिरुक्कुरल का अनुवाद निकाला है।
- **पाठ्य संरचना:** श्रद्धेय तमिल कवि-दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा रचित, इस ग्रंथ में 1,330 छोटे दोहे (कुरल) शामिल हैं जो 133 अध्यायों (अधिकारम) में व्यवस्थित हैं।
- **त्रिदलीय दार्शनिक विभाजन:** यह कृति मानव जीवन के पारंपरिक लक्ष्यों (पुरुषार्थों) को दर्शाते हुए तीन अलग-अलग खंडों में संरचित है: अरम (धर्म/सदाचार), पोरुल (अर्थ/राजनीति और धन), और इनबम (काम/प्रेम)।
- **वैश्विक और ऐतिहासिक पहुंच:** अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र और सार्वभौमिक मानव नैतिकता के लिए प्रसिद्ध, इस पाठ ने ऐतिहासिक रूप से रूसी साहित्यिक महान लियो टॉल्स्टॉय को प्रभावित किया, जिससे अहिंसक प्रतिरोध के उनके दर्शन को आकार मिला।

• BRIEFLY



Prime Minister Narendra Modi presents a copy of the translated version of *Thirukkural* to Russian President Vladimir Putin, Friday.

Modi presents Putin with Russian translation of *Thirukkural*

When Prime Minister Narendra Modi met Russian President Vladimir Putin, on the sidelines of the 18th BRICS Summit in New Delhi on Friday, he gifted the visiting leader a copy of *Thirukkural*, a classic Tamil text. Modi presented the Russian translation of *Thirukkural*, which is published by the Central Institute of Classical Tamil (CICT), an autonomous institution under the Union Ministry of Education. It is learnt that the official arranged the book from the CICT which has published the book in 22 Indian languages and over half a dozen foreign languages. ENS

आवश्यक परिभाषाएँ

- **तिरुक्कुरल:** कुरल वेनबा छंद में रचित 1,330 दो-पंक्ति वाले काव्यात्मक दोहों से मिलकर बना तमिल साहित्य का एक ऐतिहासिक संगम-उत्तर (post-Sangam) क्लासिक ग्रंथ।
- **केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (CICT):** चेन्नई में शिक्षा मंत्रालय के तहत स्थित एक स्वायत्त राष्ट्रीय अनुसंधान निकाय, जिसे शास्त्रीय तमिल साहित्य का उन्नत अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है।
- **अरम, पोरुल और इनबम:** तिरुक्कुरल के तीन मुख्य विषयगत खंड जो व्यक्तिगत धार्मिकता (अरम), शासन कला, अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक शासन (पोरुल), और मनोवैज्ञानिक मूल्यों तथा वैवाहिक प्रेम (इनबम) को कवर करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351:** घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भारत की भाषाई विविधता और साझी विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत करता है।
- **शास्त्रीय भाषा का दर्जा:** तमिल भारत की पहली भाषा थी जिसे 2004 में आधिकारिक तौर पर "शास्त्रीय भाषा" घोषित किया गया था, जिससे शिक्षा मंत्रालय के तहत वैधानिक तंत्र और अनुसंधान सहायता स्थापित हुई।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(f):** राष्ट्र की साझी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और उसका संरक्षण करने के प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य की रूपरेखा तैयार करता है।

- **संविधान की आठवीं अनुसूची:** तमिल को भारत गणराज्य की एक आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध करती है, जो अंतर-सांस्कृतिक अनुवाद पहलों के लिए विधायी ढांचे का समर्थन करती है।

निष्कर्ष

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में तिरुक्कुरल की एक अनुवादित प्रति उपहार में देना प्राचीन भारतीय दर्शन में निहित सॉफ्ट-पावर कूटनीति की शक्ति को उजागर करता है। न्यायसंगत शासन, शासन कला और मानव नैतिकता पर ग्रंथ का सार्वभौमिक ध्यान साझी सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को जोड़ने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर I:** भारतीय संस्कृति और साहित्य (शास्त्रीय तमिल साहित्य के प्रमुख पहलू, संगम-उत्तर काल, तिरुवल्लुवर के दार्शनिक योगदान)।
- **GS पेपर II:** विदेश नीति और सांस्कृतिक कूटनीति (ब्रिक्स जैसे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों में सॉफ्ट पावर का उपयोग)।
- **मुख्य फोकस:** तिरुक्कुरल संरचनात्मक संगठन (अरम, पोरुल, इनबम), CICT संस्थागत जनादेश, भारत में शास्त्रीय भाषा ढांचा।

8. आतंकवाद से लेकर संस्थागत सुधारों तक: ब्रिक्स घोषणापत्र में साझी जमीन स्पष्ट करेगा

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **आतंकवाद विरोध पर सहमति:** ब्रिक्स के 11 सदस्य देश सभी रूपों में आतंकवाद की स्पष्ट निंदा करने पर एक समझौते पर पहुंचे और समन्वित वैश्विक ढांचों के माध्यम से इसका मुकाबला करने का संकल्प लिया।
- **वैश्विक प्रशासन में सुधार:** इस समूह ने बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार करने, वैश्विक शासन को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का स्पष्ट रूप से समर्थन करने पर एक साझा रुख स्थापित किया।
- **मानव-केंद्रित दृष्टिकोण:** "मानवता प्रथम" की भावना से निर्देशित, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता उन परिणामों को प्राथमिकता देती है जो सीधे तौर पर आबादी को लाभ पहुंचाते हैं, जिसमें महिलाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए लक्षित सहायता शामिल है।
- **ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना:** ब्रिक्स ने विकासशील देशों के लिए एक मजबूत आवाज के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, यह सुनिश्चित करते हुए कि उभरती विश्व व्यवस्था में ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं, दृष्टिकोणों और आर्थिक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया जाए।
- **संवाद के लिए सेतु निर्माता:** इस समूह ने खुद को राजनीतिक, आर्थिक और एजेंसी-स्तरीय चैनलों में रचनात्मक सहयोग, संवाद और आपसी समझ के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया।

- **ठोस प्राथमिकता वाले स्तंभ:** शिखर सम्मेलन में चार प्राथमिकता वाले स्तंभों के आसपास संरचित 50 से अधिक व्यावहारिक, विकास-उन्मुख परिणामों की रूपरेखा तैयार की गई: लचीलापन (resilience), नवाचार (innovation), सहयोग (cooperation), और स्थिरता (sustainability)।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **बहुपक्षवाद (Multilateralism):** अंतर्राष्ट्रीय शासन की एक प्रणाली जहां कई संप्रभु राज्य साझी वैश्विक चुनौतियों से निपटने और बाध्यकारी नियम बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं।
- **ग्लोबल साउथ (Global South):** मुख्य रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया और ओशिनिया में स्थित विकासशील, उभरते और कम आय वाले देशों का संदर्भ देने वाला एक सामूहिक शब्द जो सामान्य ऐतिहासिक और आर्थिक विकास पथ साझा करते हैं।
- **ब्रिक्स शेरपा (BRICS Sherpa):** एक वरिष्ठ अधिकारी या नामित राजनयिक जो किसी सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और शिखर सम्मेलन के घोषणापत्रों पर आम सहमति बनाने के लिए प्रारंभिक बातचीत का संचालन करता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(c):** संप्रभु राष्ट्रों के बीच संगठित व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देशित करता है।
- **सातवीं अनुसूची की सूची I (संघ सूची) के साथ पठित अनुच्छेद 246:** संसद को विदेश मामले (प्रविष्टि 10) और अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों और सम्मेलनों (प्रविष्टि 14) पर अनन्य विधायी शक्ति प्रदान करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1373 (2001):** सदस्य राज्यों को सुरक्षित पनाहगाहों से इनकार करने, संपत्ति जब्त करने, और आतंकवादी कृत्यों में शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं की सीमा पार आवाजाही को रोकने का आदेश देता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (CCIT):** संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रस्तावित कानूनी ढांचा जिसका उद्देश्य आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा बनाना, आतंकवादी नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाना और वैश्विक प्रत्यर्पण दायित्वों को लागू करना है।

निष्कर्ष

ब्रिक्स दिल्ली घोषणापत्र को अपनाना उभरती अर्थव्यवस्थाओं और स्थापित अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के बीच एक सेतु निर्माता के रूप में समूह की विकसित होती भूमिका को उजागर करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए संरचित प्रयासों के साथ आतंकवाद विरोधी कड़ा रुख संतुलित करके, ब्रिक्स ग्लोबल साउथ के लिए एक व्यावहारिक, विकास-उन्मुख गठबंधन के रूप में अपने जनादेश को मजबूत करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह (ब्रिक्स प्रशासन, ग्लोबल साउथ नेतृत्व, बहुपक्षीय सुधार, UNSC विस्तार)।

- **GS पेपर III:** सुरक्षा चुनौतियाँ और अंतर्राष्ट्रीय संबंध (आतंकवाद विरोधी वास्तुकला, सीमा पार सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रोटोकॉल)।
- **मुख्य फोकस:** ब्रिक्स दिल्ली घोषणापत्र के सिद्धांत, UNSC सुधार, ग्लोबल साउथ प्रतिनिधित्व, CCIT ढांचा एकीकरण।

9. जीवंत कार्यक्रम और बुनियादी ढांचे का विकास: अधिक पर्यटक अब लद्दाख को क्यों चुन रहे हैं

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **रिकॉर्ड पर्यटक आगमन वृद्धि:** लद्दाख में जनवरी और अगस्त 2026 के बीच 4.5 लाख से अधिक पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया, जो 2025 के आगमन की तुलना में 20.61% की वृद्धि दर्शाता है और आठ महीनों के भीतर ही पूरे पिछले वर्ष के संचयी पर्यटक आंकड़ों को पार कर गया।
- **घरेलू और विदेशी पर्यटन का विस्तार:** केंद्र शासित प्रदेश ने आठ महीने की अवधि के दौरान 3 लाख से अधिक घरेलू पर्यटकों और 33,346 विदेशी आगंतुकों की मेजबानी की, जिसमें अगस्त में 10,075 आगंतुकों के साथ सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आगमन दर्ज किया गया।
- **विविध सांस्कृतिक और कार्यक्रम कैलेंडर:** प्रशासन ने चांगथांग घुमंतू महोत्सव (Changthang Nomadic Festival), ब्लैक-नेकड क्रैन महोत्सव, सुरु समर महोत्सव और लद्दाख मैराथन सहित प्रमुख कार्यक्रमों की मेजबानी करके पर्यटन का विस्तार गर्मियों के मुख्य महीनों से आगे शोल्डर और ऑफ-सीजन (कम मांग वाले समय) में किया।
- **बुनियादी ढांचे से संचालित कनेक्टिविटी पुश:** क्षेत्रीय सड़क कनेक्टिविटी में बदलाव ने कुल पर्यटकों के लगभग 55% को सड़क मार्ग से पहुंचने में सक्षम बनाया, जिसमें 36% कश्मीर घाटी मार्ग से प्रवेश कर रहे हैं, जो निरंतर केंद्रीय बुनियादी ढांचे के निवेश को दर्शाता है।
- **सतत आजीविका सृजन:** वर्ष भर पर्यटन विविधीकरण दूरस्थ ट्रांस-हिमालयी घाटियों में होमस्टे, कारीगरों, युवा उद्यमियों, परिवहन ऑपरेटरों, गाइडों और आतिथ्य व्यवसायों सहित स्थानीय आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों का समर्थन करता है।
- **प्रशासनिक रणनीति और शासन:** उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रेखांकित किया कि यह उछाल लक्षित बुनियादी ढांचे के विस्तार, घरेलू गंतव्यों के प्रशासनिक प्रचार और सांस्कृतिक संपत्तियों के संरक्षण के अनुरूप है।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **शोल्डर सीजन पर्यटन (Shoulder Season Tourism):** पीक (अधिक मांग) और ऑफ-पीक (कम मांग) सीजन के बीच की यात्रा अवधि, जिसका उपयोग पर्यटन योजनाकारों द्वारा आर्थिक प्रतिफल को स्थिर करने और मौसमी बेरोजगारी को रोकने के लिए किया जाता है।

- **ट्रांस-हिमालयी इको-टूरिज्म:** संवेदनशील, उच्च ऊंचाई वाले शीत मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिज़ाइन किए गए सतत पर्यटन ढांचे जो स्थानीय सामुदायिक आजीविका के साथ जैव विविधता संरक्षण को संतुलित करते हैं।
- **इनर लाइन परमिट (ILP):** राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज जो घरेलू आगंतुकों को एक सीमित अवधि के लिए निर्दिष्ट संरक्षित सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति देता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019:** वैधानिक विधान जिसने विधान सभा के बिना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया, जिससे कार्यकारी नियंत्रण और विकास प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन आ गया।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239:** केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को नियंत्रित करता है, जो एक नियुक्त उपराज्यपाल के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के राष्ट्रपति में प्रशासनिक अधिकार निहित करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21:** पर्यावरण न्यायशास्त्र के तहत एक स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास के अधिकार को शामिल करने के लिए विस्तारित, जो संवेदनशील पारिस्थितिकी में आर्थिक विकास के साथ पारिस्थितिक संरक्षण को संतुलित करता है।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** केंद्र सरकार को पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों को लागू करने, वाणिज्यिक गतिविधियों को विनियमित करने और लद्दाख में संवेदनशील उच्च-ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष

लद्दाख के पर्यटन क्षेत्र का विस्तार यह दर्शाता है कि कैसे लक्षित बुनियादी ढांचे का विकास और ऑफ-सीजन सांस्कृतिक प्रोग्रामिंग दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा दे सकती है। संवेदनशील ट्रांस-हिमालयी पारिस्थितिक संरक्षण के साथ बुनियादी ढांचे के विकास को संतुलित करना केंद्र शासित प्रदेश के लिए दीर्घकालिक सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण बना हुआ है।

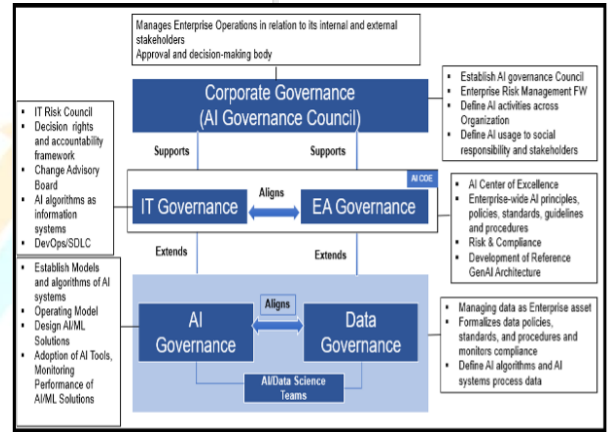
UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** केंद्र शासित प्रदेशों का शासन और प्रशासनिक ढांचा (जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, अनुच्छेद 239 प्रशासनिक गतिशीलता, सीमा क्षेत्र बुनियादी ढांचा योजना)।
- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण (सतत पर्यटन विकास, उच्च ऊंचाई वाली पारिस्थितिक बहाली, क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा विकास, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र लचीलापन)।
- **मुख्य फोकस:** ट्रांस-हिमालयी बुनियादी ढांचा विकास, सतत पर्यटन रणनीति, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पर्यावरण-संवेदनशील विकास, मौसमी पर्यटन विविधीकरण।

10. एआई (AI) गवर्नेंस आर्किटेक्चर में इसके सबसे बड़े हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- समावेशी एआई शीर्ष संस्थान की आवश्यकता:** उद्योग के नेताओं और वैश्विक नीति विशेषज्ञों ने श्रम, वित्त, चुनाव, स्वास्थ्य और जलवायु में परस्पर जुड़े प्रणालीगत जोखिमों को ट्रैक करने के लिए एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रेगुलेटरी डेवलपमेंट (IIRD) बनाने पर जोर दिया।
- प्राथमिक हितधारकों के रूप में उभरते बाजार:** ग्लोबल साउथ देश बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ता आधार, प्रशिक्षण डेटा और श्रम शक्ति प्रदान करते हैं, फिर भी उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उत्पन्न तकनीकी, वित्तीय, संप्रभु और जलवायु जोखिमों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील बने हुए हैं।
- तीन रणनीतिक मुख्य कार्य:** प्रस्तावित IIRD अनुसंधान और विनियामक क्षमता निर्माण, विनिमय प्रथाओं के एक जीवित भंडार (प्रोजेक्ट अगोरा के समान) को बनाए रखने, और कैलिब्रेटेड, आनुपातिक मानकों को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- मौजूदा संस्थानों का पूरक:** वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) या बेसल समिति जैसे निरीक्षण निकायों की दोहराव करने के बजाय, IIRD का लक्ष्य एक वैश्विक अग्रणी-एआई (frontier-AI) प्रशासन ढांचे के लिए एक विश्लेषणात्मक इंजन और अग्रदूत के रूप में कार्य करना है।
- दिल्ली जनादेश प्रस्ताव:** भारत का नेतृत्व न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं के माध्यम से मिश्रित सार्वजनिक, निजी और बहुपक्षीय वित्तपोषण द्वारा समर्थित, नई दिल्ली में स्थित एक खुले संस्थान को स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक मंच प्रदान करता है।
- वैश्विक शक्ति गतिशीलता का पुनर्संतुलन:** इस ढांचे का उद्देश्य विकासशील देशों को वैश्विक एआई प्रशासन नियमों के सह-निर्माताओं के रूप में कार्य करने की अनुमति देकर पश्चिमी तकनीकी एकाधिकार के प्रभुत्व का मुकाबला करना है।



आवश्यक परिभाषाएँ

- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रेगुलेटरी डेवलपमेंट (IIRD):** एक प्रस्तावित वैश्विक शीर्ष संस्थान जिसे विनियामक अनुसंधान करने, तकनीकी क्षमता का निर्माण करने और एआई, वित्त और जलवायु जोखिमों के नियमों को सुसंगत बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- फ्रंटियर-एआई जोखिम (Frontier-AI Risks):** महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, वित्तीय प्रणालियों और सार्वजनिक संस्थानों में काम करने वाले अत्यधिक सक्षम फाउंडेशन मॉडल से उत्पन्न होने वाले संभावित विनाशकारी या प्रणालीगत जोखिम।

- **आनुपातिक मानक (Proportionate Standards):** एक कैलिब्रेटेड विनियामक दृष्टिकोण जो कठोर एकसमान नियमों को लागू करने के स्थान पर विशिष्ट स्थानीय आर्थिक संदर्भों, क्षमता बाधाओं और जोखिम स्तरों के साथ अनुपालन जनादेशों का मिलान करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(c):** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए बाध्य करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रशासन ढांचे में भागीदारी के आधार के रूप में कार्य करता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 79):** भारत में मध्यवर्ती देयता (intermediary liability), डिजिटल एल्गोरिदम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जवाबदेही को नियंत्रित करने वाला ढांचा।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, प्रसंस्करण और सीमा पार हस्तांतरण को विनियमित करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र वैश्विक डिजिटल कॉम्पैक्ट:** जिम्मेदार डिजिटल प्रौद्योगिकी परिनियोजन और समावेशी वैश्विक इंटरनेट प्रशासन संरचनाओं का मार्गदर्शन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय ढांचा।

निष्कर्ष

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रेगुलेटरी डेवलपमेंट की स्थापना उन्नत प्रौद्योगिकी उत्पादकों और ग्लोबल साउथ उपयोगकर्ताओं के बीच की खाई को पाटती है। मानक-निर्धारण तंत्रों में उभरते बाजार की वास्तविकताओं को एकीकृत करके, भारत न्यायसंगत, सुरक्षित और संदर्भ-कैलिब्रेटेड वैश्विक एआई प्रशासन संरचनाओं का नेतृत्व कर सकता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, वैश्विक शासन ढाँचे, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समूह (ब्रिक्स, जी20, ग्लोबल साउथ कूटनीति)।
- **GS पेपर III:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, डेटा संप्रभुता, उभरते जोखिमों का शमन)।
- **मुख्य फोकस:** इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रेगुलेटरी डेवलपमेंट (IIRD) आर्किटेक्चर, फ्रंटियर-एआई जोखिम प्रबंधन, ग्लोबल साउथ टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, DPDP अधिनियम संरक्षण।

11. ब्रिक्स वित्तीय संरचना: वैश्विक शासन सुधार के वादे बनाम वास्तविकताएं

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **डॉलर के प्रभुत्व का बने रहना:** डी-डॉलराइजेशन पर बयानबाजी के बावजूद, न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के बकाया बॉन्ड का आधा हिस्सा अमेरिकी डॉलर-मूल्यवर्ग में बना हुआ है, जबकि स्थानीय मुद्रा ऋण इसके पोर्टफोलियो का केवल 22% है।

- **पश्चिमी वित्तीय प्रणाली एकीकरण:** NDB पश्चिमी क्रेडिट-रेटिंग एजेंसियों (S&P, Fitch, Moody's) पर भारी निर्भर करता है और इसने अपनी वैश्विक क्रेडिट स्थिति की रक्षा के लिए मार्च 2022 में सभी रूसी परिचालनों को रोक दिया।
- **अक्रिय सुरक्षा जाल संरचना:** \$100 बिलियन की आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (Contingent Reserve Arrangement - CRA) को एक दशक में कभी भी सक्रिय नहीं किया गया है, और इसके परिचालन नियम अनिवार्य करते हैं कि 30% से अधिक राशि निकालने वाले सदस्यों को पहले आईएमएफ कार्यक्रम में प्रवेश करना होगा।
- **एकल मुद्रा को खारिज करना:** भारत जैसे प्रमुख सदस्य व्यापारिक प्रतिशोध की चिंताओं के कारण एक सामान्य ब्रिक्स मुद्रा का विरोध करते हैं, जबकि आधिकारिक शिखर सम्मेलन के घोषणापत्र संरचनात्मक डी-डॉलराइजेशन के बजाय स्थानीय मुद्रा व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **विनम्र पूंजी पैमाना:** NDB ने अपने पहले दशक में \$39 बिलियन की परियोजनाओं को मंजूरी दी, जबकि विश्व बैंक समूह सालाना लगभग \$100 बिलियन का संकल्प लेता है, जिससे NDB की भूमिका प्रतिस्पर्धी के बजाय पूरक बन जाती है।
- **मौजूदा प्रणालियों के भीतर सुधार:** आधिकारिक ब्रिक्स घोषणाएं लगातार ब्रेटन वुड्स संस्थानों के भीतर कोटा पुनर्गठन का अनुरोध करती हैं, स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक ढांचे को बदलने के बजाय अधिक मतदान प्रभाव की मांग करती हैं।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB):** उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए 2015 में ब्रिक्स राज्यों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक।
- **आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA):** अल्पकालिक तरलता दबावों के माध्यम से आपसी वित्तीय सहायता प्रदान करने, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों के दौरान सदस्य देशों की रक्षा करने के लिए ब्रिक्स द्वारा स्थापित एक ढांचा।
- **डी-डॉलराइजेशन (De-dollarization):** प्राथमिक वैश्विक आरक्षित मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम और इनवॉइस इकाई के रूप में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई रणनीतिक आर्थिक नीति।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(c):** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने, संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने और वैश्विक शासन संस्थानों में रचनात्मक रूप से भाग लेने का निर्देश देता है।
- **सातवीं अनुसूची की सूची I (संघ सूची) के साथ पठित अनुच्छेद 246:** संसद को विदेश मामले (प्रविष्टि 10), अंतर्राष्ट्रीय संधियों (प्रविष्टि 14), और विदेशी मुद्रा (प्रविष्टि 36) पर अनन्य अधिकार सौंपता है।

- **IMF और IBRD के समझौते के अनुच्छेद:** अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को नियंत्रित करने वाली वैधानिक संधियाँ, जहाँ प्रमुख नीतिगत बदलावों और कोटा पुनर्वितरण के लिए 85% मतदान के सुपर-बहुमत की आवश्यकता होती है।
- **ब्रिक्स NDB समझौता (2014):** बैंक के चार्टर को नियंत्रित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि, जो गैर-ब्रिक्स देशों के लिए पूंजी विस्तार की अनुमति देते हुए संस्थापक सदस्यों के बीच समान मतदान अधिकार स्थापित करती है।

निष्कर्ष

ब्रिक्स वित्तीय तंत्र का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि यह समूह स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था को बदलने के स्थान पर उसी के भीतर कार्य करता है। पश्चिमी क्रेडिट बेंचमार्क, आईएमएफ लिंकेज और डॉलर-मूल्यवर्ग वाले वित्तपोषण से संबंधों को बनाए रखते हुए, ब्रिक्स प्रणालीगत आर्थिक वास्तविकताओं का प्रबंधन करते हुए अधिक संस्थागत प्रतिनिधित्व सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समूह (ब्रिक्स, आईएमएफ, विश्व बैंक, ग्लोबल साउथ शासन)।
- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन, डी-डॉलराइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान)।
- **मुख्य फोकस:** NDB पूंजी संरचना, CRA परिचालन नियम, IMF कोटा सुधार, स्थानीय मुद्रा निपटान सीमाएं।

12. एमपीसी अगली बैठक में विकास और मुद्रास्फीति की गतिशीलता में संशोधन करेगी

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **आर्थिक संकेतकों का पुनर्मूल्यांकन:** भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) बदलती वैश्विक आर्थिक स्थितियों के जवाब में अपनी आगामी बैठक के दौरान राष्ट्रीय विकास और मुद्रास्फीति के अनुमानों का पुनर्मूल्यांकन करेगी।
- **भू-राजनीतिक दबावों का प्रभाव:** चल रहे पश्चिम एशिया संकट से प्रेरित वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिम पैदा करती हैं।
- **कच्चे तेल की कीमतों का प्रक्षेपवक्र:** कच्चे तेल का भारतीय बास्केट जुलाई में औसतन \$82 प्रति बैरल से बढ़कर अगस्त में \$90 प्रति बैरल हो गया, जो सीधे घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति की उम्मीदों को प्रभावित कर रहा है।
- **मुद्रास्फीति पास-थ्रू गतिशीलता:** उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति पर अंतिम प्रभाव खुदरा उपभोक्ताओं पर मूल्य पास-थ्रू (कीमतों के हस्तांतरण) की सीमा और सरकार के वित्तीय अवशोषण उपायों पर निर्भर करेगा।
- **FCNR(B) जमा अंतर्वाह मात्रा:** हाल ही में आरबीआई के विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा के तहत विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा के तहत कुल अंतर्वाह \$127.22 बिलियन तक पहुंच गया।

- **विदेशी मुद्रा स्वैप की परिपक्वता संरचना:** स्वैप विंडो के तहत जुटाए गए FCNR(B) जमा का लगभग 50% पांच साल की अवधि के लिए लॉक है, जो निरंतर मध्यम अवधि के विदेशी तरलता स्थिरता को सुनिश्चित करता है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **मौद्रिक नीति समिति (MPC):** आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत गठित छह सदस्यीय वैधानिक निकाय, जिसे विकास का समर्थन करते हुए मूल्य स्थिरता प्राप्त करने के लिए बेंचमार्क नीतिगत ब्याज दर (रेपो दर) निर्धारित करने का काम सौंपा गया है।
- **विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा:** गैर-निवासी भारतीयों (NRIs) के लिए स्वीकृत विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित एक सावधि जमा (fixed-deposit) खाता, जहाँ विदेशी मुद्रा जोखिम प्राप्त करने वाले संस्थान द्वारा वहन किया जाता है।
- **पास-थ्रू प्रभाव (Pass-Through Effect):** वह सीमा जिस तक अंतर्राष्ट्रीय जिंस (कमोडिटी) कीमतों या विनिमय दरों में बदलाव सीधे घरेलू थोक और उपभोक्ता खुदरा मूल्य स्तरों को बदलते हैं।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (धारा 45ZB):** लक्षित मुद्रास्फीति स्तरों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठित करने का आदेश देता है।
- **लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढांचा:** आरबीआई अधिनियम की धारा 45ZA के तहत वैधानिक जनादेश जो आरबीआई को $\pm 2\%$ के सहनशीलता बैंड के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति को 4% पर बनाए रखने का निर्देश देता है।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** एनआरआई विदेशी मुद्रा खातों, पूंजी खाता लेनदेन और विदेशी मुद्रा भंडार संचालन को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा।
- **सातवीं अनुसूची की सूची I (संघ सूची) के साथ पठित अनुच्छेद 246:** संसद को बैंकिंग (प्रविष्टि 45), विदेशी मुद्रा (प्रविष्टि 36), और केंद्रीय बैंक संचालन पर अनन्य क्षेत्राधिकार प्रदान करता है।

निष्कर्ष

एमपीसी की आगामी समीक्षा समष्टि आर्थिक स्थिरता की रक्षा करते हुए बाहरी जिंस मूल्य झटकों को प्रबंधित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है। लंबी अवधि के FCNR(B) जमा अंतर्वाह का लाभ उठाने से विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है और मौद्रिक अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता के खिलाफ संरचनात्मक बफर मिलते हैं।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास और मुद्रास्फीति प्रबंधन से संबंधित मुद्दे (MPC, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा)।

- **GS पेपर III:** बाहरी क्षेत्र और मौद्रिक उपकरण (FCNR(B) जमा, आरबीआई विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा, कच्चे तेल की पास-थ्रू गतिशीलता)।
- **मुख्य फोकस:** आरबीआई अधिनियम 1934 वैधानिक प्रावधान, लचीला मुद्रास्फीति लक्षकीकरण जनादेश, पास-थ्रू प्रभाव, विदेशी मुद्रा जमा तरलता प्रबंधन।

